1 अंशों का निर्गमन, हरण एवं पुनर्निर्गमन

(Issue, Forfeiture and Reissue of Shares)

आधुनिक व्यवसाय और उद्योग को चलाने व उसके विकास के लिए अत्यधिक पूँजी की आवश्यकता होती है। एकाकी व्यापार तथा साझेदारी संगठन दोनों ही इसे जुटाने में असमर्थ रहे हैं। अत: संयुक्त पूँजी कम्पनी की स्थापना करना उचित समझा गया ताकि बड़े पैमाने के व्यवसाय के लिए पर्याप्त पूँजी एकत्रित की जा सके। कम्पनी संगठन में विभिन्न स्थानों से बहुत से व्यक्ति और संस्थाएँ थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पूँजी लगाते हैं और इस प्रकार कम्पनी के पास पर्याप्त मात्रा में पूँजी एकत्र हो जाती है। इसीलिए इसे संयुक्त पूँजी कम्पनी भी कहते हैं।

कम्पनी का अर्थ एवं परिभाषा

(Meaning And Definitions of A Company)

साधारण शब्दों में कम्पनी लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई गई एक ऐच्छिक संस्था है जिसकी पूँजी हस्तान्तरणीय अंशों में विभाजित होती है व जिसका पंजीकरण एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन होता है।

भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3(1) (*i*) के अनुसार, *"कम्पनी का आशय इस अधिनियम के अधीन निर्माणित कम्पनी अथवा किसी विद्यमान कम्पनी से है।"* **धारा** 3(1) (*ii*) के अनुसार, *"विद्यमान कम्पनी का आशय किसी ऐसी कम्पनी से है जिसका निर्माण तथा रजिस्ट्री पिछले कम्पनी अधिनियमों में से किसी के अधीन की गई हो।"*

कम्पनी अधिनियम में दी गई कम्पनी की उपरोक्त परिभाषा से कम्पनी का अर्थ स्पष्ट नहीं होता अत: इसके लिए हमें विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करना होगा :

हैने के अनुसार, *"कम्पनी राजनियम द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका पृथक् अस्तित्व होता है, जिसे निरन्तर उत्तराधिकार प्राप्त होता है और जिसकी सार्वमुद्रा होती है।"*[1]

न्यायाधीश लिण्डले (Lindley) के अनुसार, "कम्पनी संयुक्त पूँजी (सदस्यों द्वारा प्रदत्त) द्रव्य/धन में सम्बोधित की जाती है और वह कम्पनी की पूँजी होती है। वे व्यक्ति जो इसमें योगदान करते हैं या जो इसके स्वामी होते हैं, कम्पनी के सदस्य अथवा अंशधारी कहलाते हैं। पूँजी का वह आनुपातिक भाग जिसका प्रत्येक सदस्य अधिकारी होता है, अंश कहलाता है।"[1]

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कम्पनी की उचित तथा सरल परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, *"कम्पनी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु बनाया गया ऐच्छिक व्यक्तियों का संगठन है, जिसका जन्म कानून द्वारा एक अदृश्य, अमूर्त तथा कृत्रिम व्यक्ति के रूप में होता है। इसका पृथक् एवं स्थाई अस्तित्व व सार्वमुद्रा होती है।"*[2]

कम्पनी की विशेषताएँ (Characteristics of a Company)—एक संयुक्त पूँजी वाली कम्पनी के निम्न लक्षण होते हैं :

1. विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति (Aritificial Person)—कम्पनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। यह उसी के रूप में कार्य करता है। इसका निर्माण तथा समापन केवल विधान के द्वारा ही सम्भव है।

2. ऐच्छिक संघ (Voluntary Association)—कम्पनी बहुत से व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संघ है। कम्पनी का निर्माण करना इसके सदस्यों की अपनी स्वयं की इच्छा होती है। कोई भी कानून किसी व्यक्ति को कम्पनी का निर्माण करने के लिए उसे मजबूर नहीं कर सकता।

3. पृथक् वैधानिक अस्तित्व (Separate Legal Entity)—संयुक्त पूँजी वाली कम्पनी का एक पृथक् वैधानिक अस्तित्व होता है। अंशधारी कम्पनी से किसी भी प्रकार का समझौता किसी भी समय कर सकता है।

---

1. "The common stock (contributed members) is denoted in money and is the capital of the company. The parents contributed it or to whom it belongs are members. The proporation of capital to which each member is entited his parents.
–Justice Lindley

Scanned with CamScanner

4. स्थाई अस्तित्व (Permanent Existence)—संयुक्त पूजी वाली कम्पनी का स्थाई अस्तित्व होता है। किसी भी साझेदार के दिवालिया होने, पृथक् होने या मर जाने का इस संस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

5. सीमित दायित्व (Limited Liability)—कम्पनी में प्रत्येक अंशधारी का दायित्व सीमित होता है। यह केवल अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है।

6. सार्वमुद्रा (Common Seal)—कम्पनी की अपनी एक सार्वमुद्रा (Common Seal) होती है जो कि इसके सभी प्रलेखों पर लगाई जाती है।

7. अंशों का हस्तान्तरण (Trasnsferability of Shares)—अंशधारियों को अंशों का हस्तान्तरण करने का अधिकार होता है। वह जबचाहें किसी को भी अंशों का हस्तान्तरण कर सकते हैं उन पर इसके लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं होता। निजी कम्पनी में ऐसा नहीं है।

8. प्रतिनिधि व्यवस्था (Representative Management)—कम्पनी के संचालन में यह सम्भव नहीं है कि प्रत्येक सदस्य कम्पनी के संचालन में भाग ले। इसलिए इसके लिए **'प्रतिनिधि शासन पद्धति' (Reprsentative Management)** होती है। इसमें संचालकों को नियुक्त किया जाता है जो इसका संचालन करते हैं।

9. विधान द्वारा समाप्ति एवं स्थापना (Establishment and Liquidation by Law)—कम्पनी का समापन स्वयं नहीं किया जा सकता क्योंकि कम्पनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति की तरह होती है। अत: कम्पनी की स्थापना तथा समाप्ति विधान द्वारा ही की जाती है।

10. सदस्यों की संख्या (Number of Members)—एक सार्वजनिक कम्पनी में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 7 और अधिक की कोई सीमा नहीं, और निजी कम्पनी में यह संख्या 2 से लेकर 50 तक हो सकती है।

11. अन्य विशेषताएँ (Other Characteristics)—ये निम्न प्रकार हैं–

(*i*) एक कम्पनी अपने संचालकों के माध्यम से कोई भी अनुबन्ध कर सकती है। यह स्वयं कुछ नहीं कर सकती।

(*ii*) अंशों के निर्गमन के अतिरिक्त एक कम्पनी ऋण भी ले सकती है।

(*iii*) इसका एक प्रधान कार्यालय होता है।

(*iv*) कम्पनी के कार्य क्षेत्र की सीमाएँ इसके पार्षद सीमानियम द्वारा निर्धारित होती हैं।

कम्पनी के प्रमुख प्रलेख
(Important Documents of a Company)

कम्पनी के तीन प्रमुख प्रलेख होते हैं–

1. पार्षद सीमानियम (Memorandum of Association)
2. पार्षद अन्तर्नियम (Articles of Association) ; तथा
3. प्रविवरण अथवा स्थानापन्न प्रविवरण (Prospectus or Statement-in-lieu of Prospectus)

पार्षद सीमानियम (Memorandum of Association)--यह कम्पनी का सबसे महत्त्वपूर्ण वैधानिक तथा आधारभूत प्रलेख होता है जिसमें उसके नाम, कार्य क्षेत्र, अधिकारों की सीमा, उद्देश्य, दायित्व तथा पूँजी आदि की पूर्ण व्याख्या होती है। इसे कम्पनी का "चार्टर" भी कहा जाता है। यह कम्पनी के अधिकारों, क्षेत्र तथा दायित्वों आदि की सीमा निर्धारित करता है जिसका उल्लंघन गैर-कानूनी होता है। यह कम्पनी के तथा बाह्य जगत् के सम्बन्धों को भी स्पष्ट करता है।

पार्षद अन्तर्नियम (Articles of Association)—यह कम्पनी का दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रलेख है। यह पार्षद सीमानियम का सहायक प्रलेख है तथा इसमें सीमानियम में निर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा कम्पनी के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाये गये नियमों तथा उपनियमों का उल्लेख होता है। यह कम्पनी तथा अंशधारियों, ऋण-पत्रधारियों आदि के सम्बन्धों को संचालित करता है।

एक निजी कम्पनी के लिए अन्तर्नियम बनाने आवश्यक किन्तु एक सार्वजनिक कम्पनी के लिए यह आवश्यक नहीं है और ऐसी स्थिति में कम्पनी अधिनियम की प्रथम अनुसूची की सारणी "अ" (Table A) को अपने अन्तर्नियम के रूप में स्वीकार कर सकती है।

प्रविवरण
(Prospectus)

जब कम्पनी का समामेलन हो जाता है तो व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए पूँजी की आवश्यकता पड़ती है। निजी कम्पनियों के प्रवर्तक, संचालक व उनके रिश्तेदार कम्पनियों में पूँजी की व्यवस्था कर देते हैं, किन्तु सार्वजनिक कम्पनियों में पूँजी प्राप्त करने के लिए साधारण जनता को आमन्त्रित करना पड़ता है। जनता का आमन्त्रित करने का माध्यम कम्पनी का प्रविवरण पत्र ही है। जनता

Scanned with CamScanner